

4/8/18

बकुलाए फरीकेन/बादी/उपस्थित पोठारी
बधिकारी-सहित पत्रावे दे आयन्दा पत्रावे
दिनांक 28/8/18 को पेश होवे ।



28/8

बकुलाए फरीकेन/बादी/उपस्थित पा.
बधिकारी-सहित पत्रावे दे आयन्दा पत्रावे
दिनांक 6/11/18 को पेश होवे ।



6/11

बकुलाए फरीकेन उप./धामान । 0. मर.
बीगर राज कार्य में व्यस्त है । आयन्दा
पत्रावली दिनांक 29.11.19 को उनके
समक्ष पेश हो ।



29/11

बकुलाए फरीकेन उप./धामान P.O. सह
बीगर राज कार्य में व्यस्त है । आयन्दा
पत्रावली दिनांक 19.12.19 को उनके
समक्ष पेश हो ।



19/3

बकुलाए फरीकेन उप./धामान P.O. सह
बीगर राज कार्य में व्यस्त है । आयन्दा
पत्रावली दिनांक 28.5.19 को उनके
समक्ष पेश हो ।



29/5


बकुलाए फरीकेन उप./धामान P.O. सह
बीगर राज कार्य में व्यस्त है । आयन्दा
पत्रावली दिनांक 13-8-19 को पेश हो ।



13/8/19

पत्रावली पेश हुई। तकील बादी उपस्थित पत्रावली का
अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 6/11/15 व
दिनांक 17/3/16 की आदेशिका द्वारा R.A.D तलबाने व
वास्ते अदा करने कोएट तथा तल्लीम खवार सभाहा राष्ट्रीय
समाचार पत्र से करने का फंक्शन है। दिनांक 17/3/16 की आदेशिका

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.	न्या
	<p>के सामने वादी के हस्तगत थी है। वादी द्वारा फतावली में दावा पेश करने के समय तत्काल किमा गमा फई नल्बाना संलग्न है, इसके परचाल का कोई दूसरा फई नल्बाना संलग्न नहीं है। वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने व लगभग 3 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद सम्मन नल्बाना प्रस्तुत नहीं किए गए, न ही अजबना एयाहा द्वारा नामिल हेतु आवेदन प्रस्तुत किमा गमा, न ही अजबना एयाहा द्वारा नामिल किए जाने का कोई अजबना व रसीद पेश की है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर वाद वादी परिवारीगण ५ ता ५ के विरुद्ध अन्वति आदेश 9 नियम 5 जाहना दीवानी में खारिज किमा जाता है। जब समस्त परिवारीगण ५ ता ५ के विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है अतः वादी वादी चलने भोग्य नहीं रहने के कारण खारिज किमा जाता है। मिर्जा कुले न्यायालय में जुनावा गमा। फतावली मिर्जा शुमार होकर नम्बर ९ कम होकर दाखिल इफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">  13/8/19 </p>	<p>दिनांक</p>